कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक ई-33/अधि/नाबार्ड-विवरणियॉ दिनांक लखनऊ 30 जुलाई, 2015

समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,

विषयः- जिला सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वांछित विवरणियों के समयान्तर्गत प्रेषण के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कार्यरत जिला सहकारी बैंकों को विभिन्न विवरणियों/सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत नाबार्ड को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयान्तर्गत विवरणियॉ उपलब्ध न कराये जाने पर नाबार्ड द्वारा सम्बन्धित बैंक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

इस कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश में कार्यरत जिला सहकारी बैंक नाबार्ड द्वारा वांछित विभिन्न विवरणियों/सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत नाबार्ड को प्रेषित नहीं की जा रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए चूककर्ता बैंकों के विरूद्ध नाबार्ड द्वारा कठोर कार्यवाही किये जाने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत जिला सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न विवरणियॉ/सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत नाबार्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें, जिससे कि जिला सहकारी बैंकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये। जिला सहकारी बैंकों द्वारा वांछित विभिन्न विवरणियॉ/सूचनायें नाबार्ड को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0बी तथा इस कार्यालय को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0 प्र0,
लखनऊ

परिपत्रांक /अधि0 दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ।

3- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0 प्र0,
लखनऊ